सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur
क्रमांक : एफ.47(1)आरबी / 2013 / 2573
दिनांक : 22 मार्च, 2019

आदेश

डॉ0 बलराज सिंह, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को राजभवन के आदेश कमांक एफ.47(1)आरबी / 2013 / 2305 दिनांक 11.03.2019 द्वारा श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम 2013 की धारा 25(5) व 25(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित किया गया था।

डॉ0 बलराज सिंह, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की कुलपति के पद की सेवा अवधि दिनांक 25.03.2019 को पूर्ण होने जा रही है।

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विश्वविद्यालय के अधिनियम 2013 की धारा 25(1) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कल्याण सिंह, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2013 की धारा 25 (5) व 25(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो0 जे. पी. शर्मा, कुलपति, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर को अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, अस्थाई व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0 / –

(कल्याण सिंह)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांकः एफ.47(1)आरबी/2013/2574-82 दिनांकः 22 मार्च, 2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. डॉ. बलराज सिंह, कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
6. प्रो. जे. पी. शर्मा, कुलपति, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
7. कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
8. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
9. कुलसचिव, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।

प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा